जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 01-06-2021

आज दिनांक 01.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

01 किलो 35 ग्राम ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता सुनील सोनी पुत्र रामंगल सोनी निवासी बुकिया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर हाल पता – उमरिया बाजार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को 01 किलो 35 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 272/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 वीरबहादुर यादव, हे0का0 एहतेशाम, हे0का0 ज्ञानचन्द य़ादव, का0 जितेश कुमार ।

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 90/21 धारा 363/366/323/504/506 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट व 3(1)(द)(ध) / 3(ii)(v)एससी/एसटी एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता किशन यादव पुत्र रामलौट निवासी लौकी मिश्र थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.05.2021 को वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा वादिनी द्वारा शिकायत करने पर उसके परिजनों द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली गुप्ता दिया गया तथा लाठी – डन्डों से मारा पीटा गया, जिसके

संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 31.05.2021 को थाना बेलहरकला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता के तहत आज दिनांक 01.06.2021 को थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- एच0सी0पी0 8 फूलबदन द्विवेदी।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 1679 रुपये नकद व ताश के 208 पत्तों के साथ 17 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – दिलशाद पुत्र कमालुद्दीन निवासी महादेवा 2- अकबर अली पुत्र मो0 हसनैन निवासी कौलपुर 3- मुस्तफा पुत्र अकबर निवासी कौलपुर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को 560 रुपये मालफड़, 330 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 142/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार, का0 आलोक मणि।

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 03 अदद अवैध चाकू के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता अभिमन्यु पुत्र सुदामा निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 273 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 अखिलेश सिंह, का0 जयराम यादव, का0 दिलीप कुमार।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता नरसिंह यादव पुत्र मोती यादव निवासी नगपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 141 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जुबेर अली, हे0का0 रामविनय यादव, का0 गुफरान अहमद, का0 अक्षय राय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तिय़ों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1485 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत पायलपार से इवेन्ट संख्या 10926 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तिय़ों के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर दुर्घटना मे घायल हुए व्यक्तियों को जरिये एम्बुलेंस अस्पताल भेजवाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 विश्वेश्वर पाण्डेय, हो0चा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 92 वाहनो से 69000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 92 वाहनो से 69000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।